## यालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा केम्प कोर्ट–पचपदरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. :– 135 / 2017

वादीगण:

1. घेवरचन्द पुत्र साकाराम जाति भील निवासी पचपदरा तह पचपदरा

विप्रार्थीगण

1. भोलाराम पुत्र धन्नाराम जाति भील
2. रूकमोदेवी पत्नी भोलाराम जाति भील
3. राजुराम पुत्र भोलाराम जाति भील
4. मुकेश पुत्र भोलाराम जाति भील
5. जैसाराम पुत्र भोलाराम जाति भील निवासीयान मण्डापुरा हाल– सारडानी महादेव मंदिर के पीछे भाण्डियावास
6. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा

### राजस्व वाद हेतु बेदखली, स्थाई एंव आज्ञापक निषेधाज्ञा व्यादेश

### (धारा 183, 188 रा.का.अ)

### निर्णय

दिनांक :– 21.05.2018

उपस्थिति :–

1. वादी स्वंय एवं अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी की ओर से –
2. प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के अनुपस्थित –

वादीगण की ओर से उक्त वाद पत्र हेतु बेदखली, स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा व्यादेश पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा भाण्डियावास तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 1479 / 187 क्षेत्रफल 12 बीघा 12 बिस्वा अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि का मूल खसरा सं. 187 रहा है, तदोपरान्त उक्त भूमि के मूल खसरा का विभाजन विधिक प्रक्रिया के तहत किया गया। बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवाड़ा के जरीये वादी के हक में रखी भूमि के खसरा सं. 1479 / 187 बने, जो कृषि भूमि वादी की कब्जा कास्त खातेदारी की रही है, जिस पर वादी का कब्जा कास्त बिना किसी रोक–टोक के कायम रहा व है एवं वादी द्वारा ही हर वर्ष बरसात के समय खेत जोतकर फसल बोई जाती रही हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नही है, किन्तु प्रतिवादीगण वादी की उक्त कब्जा कास्त खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण अतिचार के माध्यम से कब्जा करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। बाद बंटवाड़ा उक्त कृषि भूमि वादी की एकल स्वामित्व की रही है, किन्तु वादी की उक्त कृषि भूमि पचपदरा मे रिफाईनरी क्षेत्र के नजदीक होने से भूमि की कीमत बढ़ जाने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अतिचार के माध्यम से हड़प कर अपने कब्जे में लेना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। इसी बदनियती से वादी की भूमि की हद में 20 x 30 फीट नाप का अतिकमण भी किया, जिसे वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट "अ" में मार्क ABCD से दर्शाया गया है। उक्त खातेदारी की भूमि मे अवैध व अनाधिकृत तरीके से प्रतिवादीगण के द्वारा उसके कब्जा काश्तसुदा खेत की सेढा माठ को तोड़ने का उपक्रम शुरु किया तब वादी ने अपने अधिकारो की सुरक्षार्थ पुलिस थाना पचपदरा में रिपोर्ट भी दी, तब प्रतिवादीगण ने वादी को आश्वासन दिया की वादी के खातेदारी खेत मे अतिक्रमण नहीं किया जावेगा। प्रतिवादी के उक्त कथन पर विश्वास किया। किन्तु वादी बरसात के मौसम में अपने खेत में काश्त करने लगा तब उपरोक्त प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जा काश्त में दखल हस्तक्षेप करने की नीयत से खेत की माठ एंव सेढे को तोड़ने हेतु उतारू हुए। जिस पर नियमित वाद पत्र वाद पत्र प्रस्तुत किया गया हैं ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद कार्यालय रिपोर्ट दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया, तथा प्रतिवादीगण द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने गलत तथ्यो का वाद पत्र पेश किया है, वादी का वादग्रस्त खसरान् कोई कब्जा काश्त नही है, वादी ने उक्त खेत में

....2..

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

कभी फसल नही बोई, प्रतिवादीगण ने कभी भी माठो को नही तोड़ा, और न ही वादी के काश्त में दखल ही किया, वादी ने प्रतिवादीगण की औरतो पर आरोप लगाकर उन्हो बदनाम किया है, प्रतिवादीगण का वादग्रस्त खसरान् पर अतिक्रमण नही है, वादी का वादपत्र खारिज किया जावे।

दोनो पक्षो के अभिवचन प्रस्तुत होने के बाद विवादक कायम किये गये जो निम्न है :—

1. आया वादी खसरा सं. 1479/187 रकबा 12 बीघा 12 विस्वा मौजा भाण्ड़ियावास उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई विधिक सरोकार नही है ? जिम्मे वादी
2. आया वादग्रस्त भुमि के रकबे में प्रतिवादी द्वारा किये गये अतिक्रमण को जरिये बेदखली हटाने का वादी अधिकारी है ? जिम्मे वादी।
3. आया वादी बाद बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने के बाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में प्रतिवादगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी।

वादी ने अपने वादपत्र को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में स्वंय वादी पी.डब्ल्यु–1 घेवरचन्द ने साक्ष्य शपथपत्र पेश कर न्यायालय में अपने बयान कलमबद्ध करवाये, और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नक्शा, प्रदर्श–2 जमांबन्दी खतौनी, इत्यादी प्रस्तुत किये, और माफिक इस्तदुआ वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने केम्प कोर्ट पचपदरा में वादी मय अधिवक्ता उपस्थित आये जिनको सुना केम्प कोर्ट कुड़ी में तथा केम्प कोर्ट पचपदरा में मजमे आम में चर्चा की ।

वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दौहराया और निवेदन किया कि उक्त भूमि बाद बंटवाड़ा वादी के एकल खातेदारी में रेकर्ड़ में अमल दरामद की है, इसलिये उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नही है, फिर भी लाठी के बल पर एवं महिलाओ को आगे कर भूमि में अतिचार कर अतिक्रमण किया है, और वादी के कब्जे में दखल कर रहे है, उन्हे रोकना आवश्यक है।

हमने वादी के निवेदन पर मनन किया, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर हम इस नतीजे पर पहुचे है, कि वादी ने अपना वादपत्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पुर्ण रूप से साबित किया है, और जमांबंदी प्रदर्श 2 अनुसार वादी वादगस्त भूमि खसरा सं. 1479/187 रकबा 12.12 बीघा मौजा भाण्ड़ियावास का एकल खातेदार है, तथा नक्शा प्रदर्श 1 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि वादी की भूमि के जुड़ती हुई प्रतिवादीगण की भूमि आयी हुई है, वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार हक या हिस्सा होना जाहिर नही होता है, विधिअनुसार रेकर्ड़ड खातेदार को अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकार है, तथा रेकर्ड़ड खातेदार की भूमि में अतिक्रमियो द्वारा किये गये अतिक्रमण को भी हटाने का पुर्ण अधिकार रेकर्ड़ड खातेदार को है, इस प्रकार वादी के जिम्मे रखी गई तनकीयात वादी द्वारा सिद्ध करने से वादपत्र वादी उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार स्वीकार करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित एवं निवारित किया जाता है कि प्रतिवादीगण खेत खसरा सं. 1479/187 रकबा 12 बीघा 12 विस्वा मौजा भाडियावास मे वादी के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग मे, प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई दखल/ हस्तक्षेप कारित नहीं करे, वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नही करे, तथा कृषि भूमि के भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिचार को जरीये बेदखली हटाये जाने का आदेश दिया जाता है, प्रतिवादी के अतिक्रमण को हटाकर कब्जा वादी को धारा 183 आर.टी.ए. के तहत सुपुर्द करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज मजमें आम केम्प कोर्ट पचपदरा में तारीख 21.05.2018 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा केम्प कोर्ट पचपदरा

Scanned by CamScanner